संख्या: बीमा—2289/दस-87-59/1987

प्रेषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 11 सितम्बर, 1987।

विषय:—सेवानिवृत्त तथा सेवारत मृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दावों का प्रेषण।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के अतिवयता आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त होने के उपरान्त राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के दावे बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं। ऐसा इसलिये किया जाता है क्योंकि अतिवयता आयु प्राप्त करने की तिथि तक उनका रिस्क कवर्ड रहता है। अतः उक्त तिथि के उपरान्त ही दावे अन्तिम माह की कटौती सुनिश्चित करते हुए प्रेषित किये जाते हैं। सेवानिवृत्त होने क उपरान्त अन्तिम माह के वेतन के भुगतान में अदेयता आदि की औपचारिकतायें पूर्ण होने में विलम्ब होता है और इस भुगतान क उपरान्त ही सरकारी सेवकों के सामूहिक बीमा योजना के दावों का प्रेषण सम्भव होता है जिसके फलस्वरूप दावों के प्रेषण में भी विलम्ब होता है।

2—राज्य कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि के प्राप्त होने में विलम्ब दूर करने के लिये शासन ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी सेवक क, जिस माह में वह अतिवयता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त हो रहा हो, उस माह के पूर्व के माह के वेतन से दो माहों की बीमा-योजना के अभिदानों की कटौती कर ली जायेगी और इस वेतन का भुगतान होने के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का दावा बीमा निदेशालय को भेजा जायेगा।

3—कुछ मामलों में यह सम्भावना हो सकती है कि सरकारी सेवक की मृत्यु अतिवयता आयु पर सेवानिवृत्ति होने वाले माह की समाप्ति के पूर्व ही हो जाय। ऐसी अवस्था म उसकी मृत्यु सेवारत अवस्था में मानी जायेगी। ऐसे मामलों में दावा प्रषक अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इसकी सूचना बीमा निदेशालय को तत्काल दें और तुरन्त उसका दावा मृत सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित दावा प्रपत्रों पर तैयार करके बीमा निदेशालय को प्रषित करें जिसम पूर्व प्रेषित दावे का स्पष्ट उल्लेख हो। बीमा निदेशालय ऐसे मामलों में मृत सरकारी सेवकों के दावों का निस्तारण शीघ्र करेगा और पूर्व में सेवानिवृत्त मानकर जारी किये चेक का समायोजन सुनिश्चित करेगा।

4—ये आदेश दिनांक 1 जनवरी, 1988 से लागू होंगें अर्थात् 31 जनवरी, 1988 को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के माह दिसम्बर, 1987 के वेतन से जो 1 जनवरी, 1988 को देय होगा, से दो माह के अभिदान की धनराशि काटी जायेगी और जनवरी, 1988 के वेतन से जो 1 फरवरी, 1988 को देय होगा ऐसे कर्मचारियों के संबंध में सामूहिक बीमा योजना के लिये कटौती नहीं की जायेगी।

भवदीय;
विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव।

संख्या बीमा-2289(1)/दस-87-59/1987, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार-I, II, III, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2—सचिवालय के समस्त अनुभाग;
3—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय;
4—श्री राज्यपाल का सचिवालय;
5—कन्ट्रोलर आफ इन्श्योरेन्स, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बीमा प्रभाग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली;
6—सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली (50 प्रतियों सहित)।

आज्ञा से,
ज्ञानेन्द्र नारायण,
अनु सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 110 सा0वित्त-13-10-87-(2646)-1987-10,000 (मैग0)।